चेयरमैन, यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रेडक्रास समिति, राज्य शाखा उत्तराखण्ड की यूथ रेडक्रास समिति की बैठक डा. सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय/चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे, वाइस चांसलर कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून में एजेण्डा अनुसार सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति –

1. डा0 सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय/चेयरपर्सन यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड।
2. डॉ. ए.एस. उनियाल, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
3. श्री सचिन भारती, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. डॉ. ए.के. पन्त, संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. डॉ. पद्‌माकर मिश्र, निदेशक संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. डॉ. उमा पाण्डे पडलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय काण्डा बागेश्वर।
7. डॉ. विक्रम भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय रूद्रप्रयाग।
8. डॉ. नवीन सिंघल, प्रो0 डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. डॉ. अशोक गुसाईं, महासचिव, भारतीय रेडक्रास समिति, उत्तराखण्ड।
10. श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उपसचिव, भारतीय रेडक्रास समिति, उत्तराखण्ड।

बैठक में, महासचिव भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड द्वारा यूथ रेडक्रास समिति चेयरपर्सन डा0 सुरेखा डंगवाल, वाइस चांसलर, दून विश्वविद्यालय सहित बैठक में उपस्थित सभी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया, तत्पश्चात् चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम पूर्व में आयोजित यूथ रेडक्रास समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें महाविद्यालयों में यूथ रेडक्रास इकाई गठन एवं पंजीकरण आख्या प्रस्तुत की गई। रेडक्रास राज्य शाखा उत्तराखण्ड द्वारा राज्य स्तरीय यूथ रेडक्रास सेमिनार के सफलतापूर्वक आयोजन तथा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यक्रमों, शिविर आयोजित कर गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने एवं 04 महाविद्यालयों को मा. राज्यपाल के कर–कमलों से आगामी बैठक में प्रशस्ति पत्र दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। पूर्व बैठक की अनुपालन आख्या को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

1. **यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड गाइड लाईन के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थाओं में रेडक्रास इकाई गठन एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा :–** समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत शिक्षा संस्थानों में यूथ रेडक्रास गाइड लाइन के अनुसार इकाई गठन एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि अन्य राज्यों की भॉति उत्तराखण्ड में भी समस्त शिक्षण संस्थानों में रेडक्रास ईकाई गठन एवं गतिविधियॉ संचालित हो सके। बैठक में विस्तृत चर्चा के पश्चात रेडक्रास के मानवीय सिद्धान्तों के अनुरुप व्यक्तित्व विकास की वर्तमान में आवश्यकता को देखते हुए यूथ रेडक्रास गतिविधियों के प्रचार–प्रसार पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–
   - यूथ रेडक्रास की गाइड लाईन प्रस्तुत करते हुये उसमें किये गये संशोधन के बारे में अवगत कराया, बैठक में चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं से गाइड लाईन में अंकित शुल्क को रू. 10/– प्रति समेस्टर किया जाये। (वार्षिक रु. 20.00) क्योंकि वर्तमान में

शैक्षणिक सत्र समेस्टर के अनुसार संचालित होते है। संस्थान में प्रत्येक छात्र–छात्राओं से प्रवेश के समय लिये जाने वाले शुल्क में रेडक्रास शुल्क (वार्षिक रु. 20.00) को जोड़ते हुए समस्त संस्थान स्तर पर रेडक्रास शुल्क लिया जाय। रेडक्रास शुल्क को दो भागों में बांटा जाये, कुल प्राप्त शुल्क का 50 प्रतिशत सम्बन्धित संस्थान में तथा 50 प्रतिशत रेडक्रास राज्य शाखा में जमा करना होगा। सम्बंधित संस्थान द्वारा रेडक्रास शुल्क के रुप में जमा धनराशि से रेडक्रास गतिविधियों का आयोजन, यूथ रेडक्रास एवं फर्स्ट एड् सम्बधित सामग्री, फर्स्ट एड् किट की व्यवस्था तथा महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गॉवों एवं निकटवर्ती गॉवों में यूथ रेडक्रास छात्रों के माध्यम से आपदा प्रबधंन एवं फर्स्ट एड् सहित विभिन्न जागरुकतापरक कार्यक्रम आयोजित किये जायें। रेडक्रास राज्य शाखा द्वारा जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय गतिविधियों का संचालन, गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की समस्त व्यवस्थायें की जायेगी।

- समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत शिक्षा संस्थानों में यूथ रेडक्रास नोडल अधिकारी/काउंसलर का चयन करने तथा प्रत्येक संस्थान से 02 छात्रों (01 छात्र एवं 01 छात्रा) का राज्य स्तरीय टीम हेतु चयन कर सूची निदेशालय स्तर एवं रेडक्रास राज्य शाखा को उपलब्ध कराने हेतु सम्बधित निदेशालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाये।
- प्रत्येक संस्थान/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में से 10 सक्रिय यूथ रेडक्रास स्वंय सेवकों के एक दल का गठन किया जाये, जो कि जरुरत के समय (आपदा एवं विभिन्न घटनाओं/आवश्यकता पड़ने पर) काम आ सके। एन.एस.एस., एन.सी.सी., रोवर रेन्जर्स की गतिविधियों में भी यूथ रेडक्रास कार्यक्रम सम्मिलित किये जाये।
- यूथ रेडक्रास छात्रों के लिये आर.सी. – 1 (रेडक्रास–1), आर सी –2 एवं आर.सी. –3 प्रमाण पत्र हेतु परीक्षायें आयोजित की जायें, तथा सफल अभ्यथियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

  आर.सी. – 1 (रेडक्रास–1 प्रमाण पत्र) हेतु रेडक्रास इतिहास, सिद्धान्त, रेडक्रास सम्बधित जानकारी की प्रश्नावली तैयार कर ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन कर ऑन लाइन प्रमाण पत्र दिया जाय।

  आर.सी. – 2 (रेडक्रास–2 प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र हेतु छात्र के पास आर.सी. – 1 प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। रेडक्रास गतिविधियों, क्रियाकलापों एवं कम से कम एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति का उसके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी आर.सी. – 2 परीक्षा में प्रतिभाग कर सकता है।

  आर.सी. – 3 (रेडक्रास–3 प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र हेतु छात्र के पास आर.सी. – 2 प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। रेडक्रास क्रियाकलापों, जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय गतिविधियों में प्रतिभागिता या कम से कम 01 बार रक्तदान, तथा दो–तीन दिवसीय फर्स्ट एड् प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफल होने का उसके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी आर.सी. – 3 परीक्षा में प्रतिभाग कर सकता है।
- यूथ रेडक्रास परीक्षा के आयोजन, मानक एवं प्रमाण पत्र हेतु संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के निर्देशन में एनएसएस, एनसीसी एवं रोबर रेन्जर्स के राज्य प्रभारी/निदेशक द्वारा पेपर सेट तैयार किये जाने तथा परीक्षा के आयोजन के लिये ऑनलाईन व्यवस्था या विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत शिक्षा संस्थानों के निदेशालय स्तर से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/संस्कृत शिक्षा विभाग/निदेशालय/विश्वविद्यालय)

2. **यूथ रेडक्रास छात्रों/स्वयं सेवकों को अध्ययन हेतु प्रवेश परीक्षा/विभिन्न स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अधिमान दिये जाने पर विचार–विमर्श –** महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत शिक्षा संस्थानों में यूथ रेडक्रास में पंजीकृत छात्रों को एनएसएस, एनसीसी की भॉति विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में अधिमान दिये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय स्तर पर एन.एस.एस. की भांति अधिमान दिये जाने पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि मा. राज्यपाल/अध्यक्ष भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड से अनुरोध किया जाये कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित आगामी बैठक में एन.एस.एस., एन.सी.सी. की भॉति रेडक्रास में प्रशिक्षित एवं प्रमाण पत्र धारक छात्रों को अधिमान दिये जाने सम्बधित प्रस्ताव को सम्मिलित किया जाये। बैठक में चर्चा के पश्चात् निणर्य लिया गया कि ऐसे छात्र जिसके पास आर.सी.–2 प्रमाण पत्र हो उसे 01 अंक एवं जिसके पास आर.सी.–3 प्रमाण पत्र हो, उसे 02 अंक का अधिमान प्रदान किया जाये–

- उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत शिक्षा संस्थानों के स्नातकोतर कक्षाओं में प्रवेश के समय यदि अंक समान हो तो आर.सी. 2 एवं आर.सी. 3 प्रमाण पत्र धारक को वरीयता प्रदान की जाय।
- बी.एड. एवं डीएलएड में प्रवेश के समय आर.सी. 2 एवं आर.सी. 3 प्रमाण पत्र धारक को वरीयता प्रदान की जाय।
- अन्य विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में यदि अंक समान हो तो आर.सी. 2 एवं आर.सी. 3 प्रमाण पत्र धारक को वरीयता प्रदान की जाये।

(कार्यवाही– रेडक्रास राज्य शाखा एवं राजभवन सचिवालय)

3. **रेडक्रास का इतिहास एवं मूलभूत सिद्धान्तों को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श –** रेडक्रास के इतिहास एवं मूल–भूत सिद्धान्तों का संक्षिप्त रुप में विवरण बनाया गया है, तथा रेडक्रास की वेबसाइट जिसमें रेडक्रास की गतिविधियॉ समाहित हैं, उसका लिंक समस्त शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत शिक्षा संस्थानों के वेबसाइट में जोड़ने/सम्मलित करने का प्रस्ताव है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मा. राज्यपाल/अध्यक्ष भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड से अनुरोध किया जाये कि आगामी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में रेडक्रास सम्बन्धित सिद्धान्तों, मुख्य गतिविधियों एवं उसके इतिहास को समस्त महाविद्यालयों, राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों की वेबसाइड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु इसे अपलोड किया जाये।

(कार्यवाही– रेडक्रास राज्य शाखा एवं राजभवन सचिवालय)

4. **राज्य स्तरीय यूथ रेडक्रास कार्यक्रम** – भारतीय रेडक्रास समिति राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली से यूथ रेडक्रास कार्यक्रमों में गति प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव राज्य कार्यालय को प्राप्त हुआ है। राज्य स्तर पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत शिक्षा संस्थानों से चयनित यूथ रेडक्रास छात्रों, के मध्य राज्य स्तरीय यूथ रेडक्रास कार्यक्रम का आयोजन किया जाने का प्रस्ताव है, जिससे छात्रों के ज्ञान–कौशल का विकास हो एवं शैक्षिक गतिविधियों का आदान–प्रदान हो सके, तीन दिवसीय आवासीय शिविर में छात्र–छात्राओं को फर्स्ट एड् का प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की गतिविधियों के आयोजन से यूथ रेडक्रास को गति मिलेगी, इस प्रकार के आयोजन राज्य स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अधिक से अधिक आयोजित किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये, तथा समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों एवं कार्मिकों को भी रेडक्रास सदस्यता हेतु प्रेरित करें, रेडक्रास अभियान के साथ जुड़ने का अनुरोध करने हेतु राज्य रेडक्रास कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– रेडक्रास राज्य शाखा एवं विश्वविद्यालयों/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/संस्कृत शिक्षा विभाग)

अन्त में चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति डा. सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि हम सबको यूथ रेडक्रास के गठन एवं अधिक से अधिक छात्रों को शीघ्र पंजीकृत करते हुए छात्रों को अध्ययन कार्य के साथ–साथ समाज के अपवंचित एवं जरुरतमंद/दीन दुःखियों की मदद् करने के लिए प्रेरित करते रहना है, तथा समाज के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रयासरत रहने की अपेक्षा के साथ बैठक समापन की घोषणा की।

Sdangwal

(डा. सुरेखा डंगवाल)
कुलपति दून विश्वविद्यालय
चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति
उत्तराखण्ड

भारतीय रेडक्रास समिति, उत्तराखण्ड राज्य शाखा

पत्रांक–भा.रे.क्रा.स.उ./19/2024–25/33 दिंनाक 12.04.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. सचिव संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. चेयरमैन, मैनजिंग कमेटी भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
8. वाइस चेयरमैन, भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
9. समस्त सदस्य, यूथ रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
10. समस्त सदस्य, मैनेजिंग कमेटी, भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।

भवदीय

(हरीश चन्द्र शर्मा)
उप सचिव/प्रभारी महासचिव